

## 5.1.5

The Institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

## D.P. Vipra College

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL



## D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

#### Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

#### **Summary-Sheet**

Criteria	5.Student Support and Progression
Key Indicator	5.1: Student Support
Metric	<ul> <li>5.1.5: The Institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases</li> <li>1. Implementation of guidelines of statutory/regulatory bodies</li> <li>2. Organisation wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance</li> <li>3. Mechanisms for submission of online/offline students' grievances</li> <li>4. Timely redressal of the grievances through appropriate committees</li> </ul>

N	ote	
1.0	ME	

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we

have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,		
Description	Relevant link	
and the second s		
1. Constitution & Policies of Anti-Ragging, Women	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Grievance Cell (Anti-Sexual Harassment), Grievance		
Redressal Committee (Student Redressal Committee).	4.23	
(Appendix-I)	, H = A	
2) Office order, minutes of meeting, grievances	https://dpvipracollege.ac.in/aqar-2023-	
received & Action Taken.	24/	
(Appendix-II)	24/	
3) Web link of various committees is available on		
institutional website.		
(Appendix-III)		

IQAC Co-ordinator D.P. Vipra College BILASPUR (C.G.)

**IQAC** Coordinator

वर्षीय गुरुषा D.P. Vipra College Bilaspur (C.G.)

Principal



# 2023-24

## D.P. Vipra College



# Appendix I

## D.P. Vipra College



## Guidelines for Anti-Ragging Committee

## D.P. Vipra College





## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **University Grants Commission**

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

> Ph.: 011-23236288/23239337 Fax: 011-2323 8858 E-mail: secy.ugc@nic.in

#### प्रो. रजनीश जैन सचिव

Prof. Rajnish Jain Secretary

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-15/2009 (एआरसी) भाग-III

3 0 DEC 2021

23 दिसंबर, 2021

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम, 2009" अधिसूचित किया है, जो देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट <u>www.ugc.ac.in</u> पर उपलब्ध हैं ।

रेगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिफारिशें और कार्रवाई योग्य बिन्दु, जिन्हें आपके विश्वविदयालय तथा संबद्ध/सहयुक्त सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है, निम्नवत् हैं:-

बुनियादी उपायः-क)

रैंगिंग रोधी समिति तथा रैगिंग रोधी दस्ते का गठन एवं रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न मीडिया के माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।

संस्था की विवरणिका एवं सूचना पुस्तिकाओं में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।

विद्यार्थियों के सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित नामांकन-विवरणिकाओं, सूचना-पुस्तिकाओं, पत्रकों इत्यादि के कागजी प्रति के बजाय उनकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रकाशित की जाए तथा उनमें रैंगिंग रोधी निर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन को भी समाहित किए जाएँ।

रैगिंग रोधी समिति तथा इसके नोडल अधिकारियों के पूरे पते और उनके संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों

को अद्यतन किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और इसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा एक ऑनलाइन संकल्प पत्र जमा कराया जाए।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है:-रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, नृजातीयता, लिंग (ट्रांसजेंडर संहित), सेक्सुअल ओरिएंटेशन, भेष, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी छात्र (नए या अन्यथा) पर लक्षित या शारीरिक या मानसिक शोषण (दादागिरी और बहिष्करण सहित) का कोई भी कृत्य।"
- महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाना।

परामर्श तथा निगरानी के उपाय:-ख)

- 1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और परेशानी करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
- छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंड इत्यादि का औचक निरीक्षण और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने। लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/घटना को रोकने में प्रभावी हैं, किए जाएँ।

ग) रैगिंग मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:-

1. रैगिंग रोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और इस विचार को फैलाने के लिए कोई भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए।

. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा एवं संरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से प्रयोग में लाया जाए।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य उपायों का उपयोग करनाः-

1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण संकट में फंसे विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग रोधी वेबसाइट <u>helpline@antiragging.in</u> पर ई-मेल कर सकते

2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in एवं www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निगरानी एजेंसी अमन सत्य काचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 पर (केवल आपात स्थिति में) संपर्क करें।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न माध्यमों से रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और आयोग ने रैगिंग रोधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संसाधन विकसित किए हैं जो आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषियों के परिप्रेक्ष्य से 30 सेकंड के अलग-अलग 05 टी.वी.सी विकसित किया हैं।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों/विनियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी/अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच वितरित किया हैं।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों/शिक्षकों/आम जनता के लिए 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का उल्लंघन या इन विनियमों के अनुसार रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में संस्थान की विफलता या रैगिंग की घटनाओं के दोषियों को उपयुक्त रूप से दण्डित करने में विफलता की स्थिति में उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र सं. 3-2/2021 (एआरसी) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के अनुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दायर करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें और अपनी वेबसाइट और परिसर के मत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास में अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के रैगिंग रोधी के नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध/ सहयुक्त सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय,

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL



## D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Date: 06/07/2016

#### ANTI-RAGGING COMMITTEE

#### POLICY

The College has an Anti-Ragging Cell as per the UGC Regulation. Aggrieved students can register their grievances and concerns regarding any form of ragging like verbal, non-verbal or suggestive. Any action or word condemning one's gender identity, community, caste or other discriminatory remarks can be reported in confidence to the Anti Ragging Committee. At the time of admission every student and parent is made to sign an Anti-Ragging affidavit as per university stipulations which implicitly states not to indulge in any behavioral practices which will subject them to disciplinary action or expulsion, depending on the nature of the offence.

#### CONSTITUTION OF THE COMMITTEE:

The Members of the Committee are nominated by the Principal.

D.P. Vipra College

Bitaspur (SG)

D.P. Vipra College Bilaspur (C.G.)



## Guidelines for Anti-Sexual Harassment Committee

## D.P. Vipra College

## भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (भारत सरकार, अंतिरक्ष विभाग की यूनिट)

नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009, भारत



**Physical Research Laboratory** (A Unit of Dept. of Space, Govt. of India) Navrangpura, Ahmedabad 380009, India

1.1/PRL-DIR/ICC/2021

जून June 29, 2021

## कार्यालय आदेश OFFICE ORDER -20/2021

विषयः पी.आर.एल. की आइ.सी.सी. का पुनर्गठन। Sub: Reconstitution of ICC of PRL

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की शिकायतों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक देखने के लिए पीआरएल की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया है।

The Internal Complaints Committee (ICC) of PRL is reconstituted to look into the complaints of sexual harassment of women at workplace with immediate effect and until further orders.

<ol> <li>डॉ. (सुश्री) शीतल एच. पटेल, चिकित्सा अधिकारी-एस.एफ</li> </ol>	अध्यक्ष
Dr. (Ms.) Shital H. Patel, Medical Officer – SF	Chair
2. डॉ. (सुश्री) शुबबती गोस्वामी, वरिष्ठ प्रोफेसर, सैद्धांतिक भौतिकी	सदस्य
Dr. (Ms.) Srubabati Goswami, Senioer. Professor, THEPH	Member
3. डॉ. (सुश्री) नंदिता श्रीवास्तवा, वरिष्ठ प्रोफेसर, उदयपुर सौर वेधशाला	सदस्य
Dr. (Ms.) Nandita Srivastava, Senior Professor, USO	Member
4. डॉ. रवि भूषण, वैज्ञानिक- प्रोफेसर, भूविज्ञान प्रभाग,	सदस्य
Dr. Ravi Bhushan, Scientist - Professor, GSDN	Member
5. डॉ. सोम कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान प्रभाग	सदस्य
Dr. Som Kumar Sharma, Associate Professor, SPASC	Member
6. डॉ. (सुश्री) मेघा उपेंद्र भट्ट, रीडर, ग्रहीय विज्ञान प्रभाग	सदस्य
Dr. (Ms.) Megha Upendra Bhatt, Reader, PSDN	Member
7. सुश्री इंदु कपूर, निदेशक, चेतना आउटरीच	बाहरी सदस्य
Ms. Indu Capoor, Director, Chetna Outreach	
8. डॉ. (सुश्री) निष्ठा अनिल कुमार, पुस्तकालय अधिकारी -एफ., पुस्तकालय	External Member
Dr. (Ms.) Nishtha Anilkumar, Library Officer – F, Library	संयोजक
The same of the sa	Convener

डॉ. अनिल भारद्वाज

Dr. Anil Bhardwaj

निदेशक / Director

सेवा में: अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य To: Chair and Members of Committee प्रतिलिपि: रजिस्ट्रार, पी.आर.एल. cc: Registrar, PRL सभी सबंधितके लिए To all concerned

## महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, ज्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जेनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर सैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

#### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोध) अधिनियम, 2013 है।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
  - (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
  - 2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.--
    - (क) "व्यथित महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
    - (i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहों, जो प्रत्यर्थी द्वारा नैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;
    - (ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;
    - (ख) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
      - (i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—
      - (अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: चित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;
      - (आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

- (ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;
- (ग) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ঘ) "जिला अधिकारी" से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) "घरेलू कर्मकार" से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नकद या वस्तुरूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, शंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है;
- (ग) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो गीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्यकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;
  - (छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
  - (i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निभित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
  - (ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

- (iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;
- (iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयाविध या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;
- (জ) "आंतरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;
- (छ) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;
- (ज) "सदस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
- (ट) "िवहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
  - (ड) "प्रत्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;
- (ढ) ''लैंगिक उत्पीड़न'' के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विसक्षित रूप से हैं, अर्थात् :—
  - (i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या
  - (ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या
  - (iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या
  - (iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या
  - (v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;
  - (ण) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं-

- (i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णत: या सारत:, उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;
- (ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, स्थास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;
  - (iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;
- (iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;
- (v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;
  - (vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;
- (त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्विनयोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्यून है।
- लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—(1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा ।
- (2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी :—
  - (i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या
  - (ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
  - (iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
  - (iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या
    - (v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

#### अध्याय 2

#### आंतरिक परिवाद समिति का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक अभिति का गठन करेगा:

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

- (2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
  - (क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी:

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा :

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, धोठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है; (ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है:

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

- (3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनिधक की ऐसी अविध के लिए पव धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीसें या भन्ते, जो विहित किए जाएं, सदंत्त किए जाएंगे।
  - (5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,-
    - (क) धारा 36 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
  - (ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या
  - (ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या
  - (घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

#### अध्याय 3

#### स्थानीय परिवाद समिति का गठन

- 5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिस्चित कर सकेगी।
- 6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।
- (2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
  - (3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।
- 7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
  - (क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
  - (আ) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;
  - (ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए:

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी;

(খ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

- (2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनिधक की ऐसी अविध के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
  - (3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य,—
    - (क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या
  - (এ) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या
  - (ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या
  - (घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

- (4) स्थानीय जिमिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय सिमिति की कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।
- 8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार टीक समझे, अनुदान दे सकेगी।
- (2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।
- (3) अधिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।
- (4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

#### अध्याय 4

#### परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अविधे के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अविधे के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी :

परंतु जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

- (2) जहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक बारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।
- 10. जुलह-—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी:

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्धी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

11. परिवाद की जांच—(1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहां लागू हो, वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अविध के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का, जो वह समुचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निज्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
- (আ) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।
- (4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

#### अध्याय 5

#### परिवाद की जांच

12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई—(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

- (ফ) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या
- (ख) ज्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या
- (ग) च्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट--(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

- (3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—
  - (i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, यहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने;
  - (ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे:

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय सभिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी।

- (4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।
- 14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी:

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आक्षित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवादी की ओर से द्वेधपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

- (2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।
- 15. प्रतिकर का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—
  - (क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;
  - (জ) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;
  - (न) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;
  - (भ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;
  - (ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

16. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजिनक करने का प्रतिषेध—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक सिमिति या स्थानीय सिमिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजिनक नहीं किया जाएगा:

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

18. अपील—(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति की लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

#### अध्याय 6

#### नियोजक के कर्तव्य

19. नियोजनः के कर्तव्य-प्रत्येक नियोजक,-

- (क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से भुरक्षा भी है;
- (स) लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;
- (ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा:
- (খ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;
- (इ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;
- (च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;
- (छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;
- (ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी बांछा करती है, जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;
  - (झ) सैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;
  - (অ) आंतारेक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

#### अध्याय 7

#### जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

20. लिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां—जिला अधिकारी,—

- (क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;
- (ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

#### अध्याय 8

#### प्रकीर्ण

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

- (2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।
- 22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना—नियोजक, अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हों, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारे की संख्या को सम्मिलित करेगा या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, वहां ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हो, जिला अधिकारी को सूचित करेगा।

23. समृचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और आंकड़े रखा जाना—समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े रखेगी।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना—समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए :—

- (क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;
  - (ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।
- 25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—
  - (क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;
  - (ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।
  - 26. अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई नियोजक,—
    - (क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;
    - (জ) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और
  - (ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा,

वहां वह, ऐसे जुभीने थे, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

- (2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—
  - (i) उसी अपराध के लिए उपंबधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोगित दंड से दुगुने दंड का दायी होगा:

पंरतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

- (ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा।
- 27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।
- (2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।
  - (3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

- 28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।
- 29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—
  - (क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते;
  - (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;
  - (ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते;
  - (घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;
  - (ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;
  - (च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां;
  - (छ) धारा i2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;
  - (ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;
  - (झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;
  - (অ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;
  - (ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;
  - (ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और
  - (ড) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय।
- (3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अविध के लिए रखा जाएगा । यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- (4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
- 30. कठिवाइयों **को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

# महिला उत्पीडन तथा यौन शोषण संबंधी कानून

- 1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामित हो, जो अरुचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
- 2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
- 3. यौन अनुग्रह की मांग ।
- 4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियां ।
- 5. अश्लील चित्र दिखाना ।
- 6. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारिरीक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक संपर्क ।
  - 7. ऐसा यौन उत्पीडन जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
  - 8. ऐसा यौन उत्पीडन जो हानिकारक परिणामो की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये ।
  - 9. ऐसा यौन उत्पीडन जो देश या माहौल दूषित हो की संभावना दिखाकर किया जाये ।
  - १०. छेड्खानी करना ।
  - 11. किसी स्त्री की स्वंत्रता भंग करने का प्रयत्न करना ।
    - 12. भद्दा मजाक करना ।
    - १३. फोन पर असलील बातचीत करना ।
    - १४. इच्छा के विरुध्द करना, उसकी निजता का उल्लघंन करना ।
    - 15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

आदि संबंधी अपराध होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

राज्य महिला आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़


व्दारा महिलाओं के हित में प्रसारित



## Guidelines for Grievance Redressal Committee

## D.P. Vipra College





Prof. Rajnish Jain Secretary



#### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

> Ph.: 011-23236288/23239337 Fax : 011-2323 8858 E-mail : secy.ugc@nic.in

F.No. 14-4/2012(CPP-II)

7<sup>th</sup> December, 2018

### PUBLIC NOTICE

ON

## UGC (GRIEVANCE REDRESSAL) REGULATIONS, 2018

UGC had notified UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012 in official Gazette of India on 23<sup>rd</sup> March, 2013. These regulations were aimed at addressing and effectively resolving grievances of students related to Higher Educational Institutions.

The UGC had received a number of responses on these regulations and hence constituted an Expert Committee to revisit UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012. The draft University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018 prepared by the Committee is attached herewith for observations and suggestions of stakeholders. The feedback and comments on the above draft may be sent to UGC via email <a href="mailto:grmhei.2018@gmail.com">grmhei.2018@gmail.com</a> on or before 31st December, 2018.

(Prof. Rajnish Jain)

#### UNIVERSITY GRANTS COMMISSION BAHADUR SHAH ZAFAR MARG NEW DELHI – 110 002

#### NOTIFICATION

F.No.14-4/2012 (CPP-II)

New Delhi, the \_\_ October, 2018

In exercise of the power conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:

## 1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018.
- b) They shall apply to all HEIs, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a university declared as such under Section 3 of the said Act.
- c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "aggrieved student" means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances defined under these regulations, and includes a person seeking admission to any institution of higher education;
- (c) "college" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any

qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.
- (e) "declared admission policy" means such policy for admission to a course or program of study as may be offered by the institution and published in the prospectus referred to in sub-regulation (1) of regulation 3;
- (f) "grievances" include the following complaints of the aggrieved students, namely:
  - i. making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
  - ii. irregularity in the admission process adopted by the institution;
  - iii. refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institution;
  - iv. non publication of prospectus, (either hard copy / online) as specified in these regulations;
  - v. publishing any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
  - vi. withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a students for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
  - vii. demand of money in excess of that specified in the declared admission policy to be charged by such institution;

- viii. breach in reservation policy in admission as may be applicable;
  - ix. nonpayment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed, under the conditions imposed by University Grants Commission, or by any other authority;
  - delay in conduct of examinations or declaration of results beyond the specified schedule in the academic calendar;
- xi. on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;
- xii. non transparent or unfair evaluation practices;
- xiii. Refund of fees, in case a student withdraws the admission within the stipulated time as mentioned in the prospectus, as notified by the Commission from time to time.
- (g) "Department Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department.
- (h) "Institutional Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of an Institution.
- (i) "College Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a college.
- (j) "University Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a University.
- (k) "Higher Educational Institution" means a University within the meaning of clause (f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of Section 12A, and an institution deemed to be a University declared under Section 3, of the University Grants Commission Act, 1956;
- (I) "Institution" for the purposes of these regulations, means any university, college or such other institutions, as the case may be;
- (m) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain, and to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached;

- (n) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;
- (o) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act.

## 3. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:

- i. Every higher educational institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:
  - (a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;
  - (b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
  - (c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;
  - (d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;

- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules / regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, alongwith the category they belong to Regular / visiting ---- and teaching experience of every member of its teaching faculty.
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution.
- (k) any other information as may be specified by the Commission:

Provided that an institution shall publish / upload information referred to in items (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media:

ii. Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its

publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

#### 4. GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (GRC):

#### A. <u>Department Grievance Redressal Committee (DGRC)</u>

- (i) In case of universities, all complaints relating to a department shall first be addressed to Department Grievance Redressal Committee (DGRC) to be constituted at the level of departments/school/center whose composition shall be as follows:
  - a) Head of the Department / School / Center Chairperson
  - b) a Professor from outside the department / school / center to be nominated by the Head of HEI – Member
  - c) A faculty member well-versed with grievance redressal mechanism to be nominated by the Head of the Department – Member.
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The DGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances of the students.
- (v) The DGRC shall make efforts to resolve the grievance within the stipulated period and shall submit its report to the Head of the Institution within a period of 15 days from the date of receipt of complaint to the DGRC.
- (vi) The DGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

## B. <u>Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC)</u>

- (i) The complaints not related to departments/schools / center and the grievances not resolved at the DGRC shall be referred to the Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC) to be constituted by Head of the HEI, whose composition shall be as follows:
  - (a) Pro-Vice Chancellor / Dean/ Senior academician of HEI – Chairperson.
  - (b) Dean of students/Dean, Students Welfare
  - (c) Two senior academicians other than Chairperson.
  - (d) Proctor / Senior academician
- (ii) The above Committee shall be approved by the statutory body of institution (Executive Council or its equivalent).
- (iii) The Chairperson of IGRC and DGRC shall not be the same. The tenure of the Committee members shall be two years.
- (iv) The quorum for the meetings shall be three, including Chairperson.
- (v) The IGRC shall consider the recommendation of DGRC while giving its recommendations. However, the IGRC shall have the power to review recommendations of the DGRC.
- (vi) The IGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances.
- (vii) The IGRC shall send the report and the recommendations to the Head of the HEI within in a period of 15 workings days from the date of receipt of grievance, or appeal or recommendations of the DGRC.
- (viii) The IGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).
- C. College Grievance Redressal Committee (CGRC)

- (i) In case of colleges, all complaints shall first be addressed to College Grievance Redressal Committee (CGRC) whose composition shall be as follows:
  - a) Principal of the college -Chairperson
  - b) Two senior faculty members nominated by the principal of the College.
- (ii) The tenure of the members shall be two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The CGRC shall follow the principles of natural justice while considering the grievances of the students.
- (v) The CGRC shall send the report and recommendations to the Vice-Chancellor of the affiliating university within a period of 15 days of receiving the complaint.

#### D. <u>University Grievance Redressal Committee (UGRC)</u>

- (i) In case of grievances not resolved by CGRC, it shall be referred to University Grievance Redressal Committee (UGRC) for which the Vice-chancellor of the affiliating university shall constitute a University Grievance Redressal Committee (UGRC) consisting of five members for a individual colleges or a group of colleges keeping in view the location of the college(s). The UGRC shall be constituted by the Vice-chancellor of the affiliating university consisting of:
  - a) A senior Professor of the university Chairperson
  - b) Dean, Student Welfare or its equivalent Member
  - c) Three Principals drawn from the affiliating colleges, on rotation basis to be nominated by the Vice-Chancellor Members
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.

- (iv) The CGRC shall follow the principle of normal justice while deciding the grievance of the students.
- (v) The CGRC shall send the report and the recommendations to the principal of the college within a period of 15 days of receiving the complaint.
- E. Any person aggrieved by the decision of the Institutional Grievance Redressal Committee or University Grievance Redressal Committee may within in a period of six days prefer an appeal to the Ombudsperson.

## 5. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

- (i) Each HEI shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students under these regulations.
- (ii) The Ombudsperson shall be a person not related to the university and who is a retired Vice-Chancellor, Registrar or a faculty member who has at least ten years of experience as a Professor.
- (iii) The Ombudsperson shall not be in any conflict of interest with the university, either before or after his appointment.
- (iv) The Ombudsperson, or any member of his immediate family shall not -
  - (a) hold or have held at any point in the past, any post or, employment in any office of profit in the university;
  - (b) have any significant relationship, including personal, family, professional or financial, with the university;
  - (c) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.
- (v) The Ombudsperson in a State University shall be appointed by the Executive council of the university on part-time basis from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Nominee of the Governor of the State or his nominee Chairperson
- (b) Vice-Chancellor of a University of State to be nominated by the State Government Member
- (c) Vice-Chancellor of the concerned State University Member
- (d) Registrar of the concerned State University Secretary (non-voting)
- (vi) The Ombudsperson in a Central University and institution deemed to be university shall be appointed by the Executive Council of the Central University or the equivalent statutory body of the Deemed to be University, as the case may be, on part - time basis from a panel of three member recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-
  - (a) Nominee of University Grants Commission Chairperson
  - (b) One Vice Chancellor from Central University to be nominated by UGC (for Central Universities) Member

OR

One Vice Chancellor from institution deemed to be university to be nominated by the UGC (for Deemed to be Universities)
- Member

- (c) The Vice Chancellor of the university Member
- (d) The Registrar of the university Secretary (Non-Voting)
- (vii) The Ombudsperson shall be a part time officer appointed for a period of three years from the date he/she assumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.
- (viii) The Ombudsperson shall be paid the sitting fee per day as per the norms of the university for hearing the cases, in addition to the reimbursement of the conveyance.

(ix) The Ombudsperson may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under these regulations, by the concerned appointing authority i.e. the Executive Council of the University.

#### 6. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear any appeal of an applicant for admission as student or student of the university against the university or institution affiliated to it as the case may be, after the student has availed all remedies available in such institution for redressal of grievance such as IGRC / UGRC;
- (ii) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsperson. However, the issues of malpractices in the examination and evaluation processes may be referred to the Ombudsperson.
- (iii) Ombudsperson may seek the assistance of any person as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the student(s).

## 7. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSON AND GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student of that institution may submit an application seeking grievance redressal.
- (ii) On receipt of any online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Grievance Redressal Committee, as the case may be, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on online portal.
- (iii) The Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved person.

- (iv) An aggrieved person may appear either in person or be represented by such person as may be authorized to present his/her case.
- (v) The Grievances not resolved at the appropriate Grievance Redressal Committee(s) shall be referred to the Ombudsperson.
- (vi) The institution shall co-operate with the Ombudsperson or the Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Vice Chancellor.
- (vii) On the conclusion of proceedings, the Ombudsperson shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue, after giving due hearing to both the parties.
- (viii) Every order under the signature of the Ombudsperson shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson. Any recommendations of the Ombudsperson not complied with by the institution shall be reported by the Ombudsperson to the Commission.
- (x) In case of any false or frivolous complaint, the Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant.

## 8. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSON GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

The institution shall provide detailed information regarding provisions of Grievance Redressal Committee(s) and Ombudsperson on their website and in their prospectus prominently.

#### 9. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution which willfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Grievance Redressal

Committee(s), as the case may be, may proceed to take one or more of the following actions, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;
- declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (f) The Commission may take necessary and appropriate action as it may deemed fit, in case of an institution deemed to be university;
- (g) recommend to the concerned State Government for necessary and appropriate action, in case of a university established or incorporated under a State Act;
- (h) The Commission may take necessary and appropriate actions against any institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

(Prof. Rajnish Jain) Secretary



# Appendix II

# D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001

D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR(C.G.)
Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Accident Acc

Date- 17/08/2023

## Office Order

It is to inform that as per the requirement of D. P. Vipra College a Grievance Redressal Committee is constituted with the following members:

C- N	Name	Designation	Signature
Sr. No.	Dr. Ashutosh Pandey	Co-ordinator	A
1.	Dr. Toshima Mishra	Member	(Ag)
3.	Dr. Suruchi Mishra	Member	Hh
4.	Mr. Himanshu Sahu	Member	
	XII. Time	(Student Representative)	Mahr
5.	Mr. Vibhanshu	Member	
	, the	(Student Representative)	Shauser
6.	Ku. Anjali	Member	A 10
		(Student Representative)	Thy U.

Da Brown



# D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR(C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Accredited "A" Web. - www.dpvipracollegs in F Accredited Accredited Accredited Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

Date:-06/09/2023

## **Notice**

The meeting of Grievance Redressal Committee is scheduled on 09 September 2023 at 01:30 p.m. in Principal office.

### Agenda of the meeting:

- 1. Over views upon the objectives and functions of the Committee.
- 2. Discussion upon issues if raised any.

You are requested to make it convenient to attend the meeting.

CO-ORDINATOR GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR



# D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR(C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Date:-09/09/2023

## **Attendance**

S. No.	Name .	Signature
1.	Dr. Ashutosh Pandey	Au
2.	Dr. Toshima Mishra	( Carry
3.	Dr. Suruchi Mishra	Bu
4.	Mr. Himanshu Sahu	Foulu.
5.	Mr. Vibhanshu	Vichenses
6.	Ku. Anjali	Ayali.

Dar Bray

CO-ORDINATOR
GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR



Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phore No. 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege in, Email-drvipracollege@gmail.com

Date:-09/09/2023

## Minutes of Meeting

Agenda 1. (verviews upon the objectives and functions of the committee.

Resolution:

All committee members introduced themselves and gave overview about roles and responsibilities of the committee.

Agenda. 2. Discussion upon issues raised.

### Resolution:

Committee discusssed about the problems regarding Infrastructure, Office, Library and Academic problems which brought to notice of the committee. As no issues were raised to resolved so the meeting was concluded with the vote of thanks.

CO-ORDINATOR
GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR

PRINCIPAL AL

D. P. VIPRA COLLEGE

BILASPUR (C.G.)

विश्वम दिनका



# D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR(C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

# Action Taken Report of the Meeting held on 09/09/2023

Sr.No.	Resolution in the Meeting	Action Taken for Implementation
		& Outcomes
	NIL	

PRINCIPALAL D. P. VIPRA COLLEGE

BILASPUR (C.G.)

320 37001

CO-ORDINATOR
GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR



# D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.) Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Continuation

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Accreance Accreance, 150-9001:2015 Certified

Phone No. 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Date- 07/08/2023

## Office Order

It is to inform that as per the requirement of D. P. Vipra College an Anti Ragging Committee is It is to inform that as per time requirements. Due to retirement of Dr. K. B. Singh, Dr. Vimal Patel constituted with the following members. Due to retirement of Dr. K. B. Singh, Dr. Vimal Patel constituted with the following members. hereby appointed as co-ordinator of Anti Ragging Committee.

<b>三型型等基</b>	Designation	Signature
Sr. No. Name	Coordinator	Heats
1. Dr. Vimal Patel	Men. er	se_
2. Dr. Khagendra Soni		Die
3. Prof. Shriti Somvanshi	Member	12
4. Prof. Kiran Dubey	1,75115	



Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Date 16/11/2023

#### **NOTICE**

The meeting of Anti Ragging Committee is scheduled on Wednesday 22/11/2023, at 01.00 pm in IQAC room.

### Agenda of the meeting:

- 1. Reintroduction of Anti Ragging Committee.
- 2. Contemplation upon the issues regarding ragging in the college campus.

You are requested to make it convenient to attend the meeting.

ANTI - RAGGING COMMITTEE D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR



Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

Date 22/11/2023

### **Attendance**

Dr. Vimal Patel	North
Dr. Khagendra Soni	26
Prof. Shriti Somvanshi	dist
Prof. Kiran Dubey	11
	Dr. Khagendra Soni Prof. Shriti Somvanshi

CO-ORDINATOR
ANTI-RAGGING COMMITTEE
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR



Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-12497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

Date 22/11/2023

### Minutes of Meeting

Agenda 1: Reintroduction of Anti Ragging Committee.

Resolution:

Members of committee are reintroduced to the context and relevance of Anti Raging activities.

Agenda. 2 Contemplation upon the issues regarding ragging in the campus.

#### Resolution:

Committee wasproud as no ragging case is reported in the campus which states that the Institute campus is ragging free. Though no such case is found but still we should be aware for the future.

All the committee members were satisfied and gave special thanks to Dr.Vimal Patel sir for his efforts in this regard.

As there was no issue to discuss so the meeting was concluded with the vote of thanks.

CO-ORDINATOR

ANTI - RAGGING COMMITTEE

DO VISTO, COLLEGE, BIL 15" 3



Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

Date 22/11/2023

## Action Taken Report of Meeting held on Wednesday 22/11/2023

Sr.No.	Resolution in the Meeting	Action Taken for Implementation
		& Outcomes
	NIL	

CO-ORDINATOR
ANTI - RAGGING COMMITTEE
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR



# Appendix III

# D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001

## D.P. Vipra College, Bilaspur (C.G.)

#### Web Link of ANTI-RAGGING/ GRIEVANCE REDRESSAL/INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE

https://dpvipracollege.ac.in/grievance-redressal-committee/

